रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082022-238214
CG-DL-E-20082022-238214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3710]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944
No. 3710]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

का.आ. 3884(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर शिक्षा मंत्रालय, अधिसूचित करता है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय को नीचे दिए गए प्रयोजनों के लिए छात्र, शिक्षक और शिक्षक शिक्षा रजिस्ट्री के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग देने के लिए अनुज्ञात करता है:

(i) सभी शिक्षा सेवाएं, आंकडे और एप्लीकेशन्स प्रत्येक स्तर पर न्यूनतमवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए, विकेंद्रीकृत रीति से कई स्तरों अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं।

(ii) एक सामान्य रजिस्ट्री स्कीम के आधार पर उपयुक्त स्तर (राष्ट्रीय, राज्य और विद्यालय) पर अंत: संचालित इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रियों का एक समूह समर्थ किया जाएगा जिससे विभिन्न प्रणालियों के मध्य सूचना का निर्बाध आदान-प्रदान होता है (आवश्यकतानुसार व्यष्टियों की सहमति से)।

(iii) छात्र और शिक्षक रजिस्ट्रीकरण यथा समुचित विद्यालय स्तर, विद्यालय प्रबंधन स्तर और राज्य स्तर पर किए जाएंगे।

(iv) गैर-निजी रूप से पहचान योग्य सूचना मेटाडाटा को विश्लेषण और ओपन डाटा प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहित किया जा सकता है।

(v) छात्रों या माता-पिता या शिक्षकों को डाटा सशक्तिकरण सिद्धांतों के अनुसार, उनके मशीन-पठनीय, डिजिटल-हस्ताक्षरित, मुद्रित करने योग्य शैक्षिक आंकडों का और पोर्टेबल रीति से पूरा नियंत्रण होगा।

(vi) सिस्टम-ऑफ-रिकॉर्डस में सत्य का एकमात्र स्रोत सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख डाटा होगा; अन्य सभी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, एप्लीकेशन्स या संस्थाओं की इस तक पहुँच लागू अनुमतियों और सहमति के अध्यधीन केवल एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से ही होगी।

(vii) प्रयोजन की सीमा के सिद्धांत का पालन करते हुए डाटा साझा करने के लिए विशेष सहमति अपेक्षित होगी।

(viii) अल्पवयों के लिए माता-पिता की सहमति अंगीकृत जाएगी और सेवाओं के माध्यम से सक्षम किसी भी निजी डाटा (निजी रूप से पहचान योग्य सूचना युक्त डाटा) तक पहुंच केवल इलेक्ट्रॉनिक सहमति के माध्यम से ही संभव होगी।

(ix) केंद्रीय और राज्य शिक्षा विभाग, स्वायत्त निकाय, विद्यालय बोर्ड, निजी शैक्षिक स्कूल सोसायटियां आदि, जिनके पास क्षमता या अवसंरचना है, डाटा न्यासी होंगे।

(x) डाटा का प्रबंधन करने वाले और डाटा प्रोसेसर को रखने और संसाधित करने वाले डाटा न्यासी, लागू विधियों के अधीन डाटा सुरक्षा दायित्वों और अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. शिक्षा मंत्रालय, आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित सूचना का पालन करेगा, जैसाकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा सूचित किया गया है:

(i) हां या नहीं, दोनों के लिए तत्काल अनुमोदन है और इस प्रयोजन के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) या ई-केवाईसी उपयोगकर्ता अभिकरण (केयूए) होगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 29 के अनुसार प्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ निवासी की विवेकपूर्ण सहमति ली जाएगी। निवासी को उन प्रयोजनों के बारे में स्पष्ट बताए जाने चाहिएं जिनके लिए आधार संख्या और संबंधित जानकारी मांगी जा रही है। निवासी को उस तरीके के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट बताया जाना चाहिए जिसमें इन्हें एकत्र, संग्रहीत और उपयोग किया जाएगा।

(iii) निवासी को पहचान या सत्यापन के वैकल्पिक तंत्र के बारे में सूचित किया जाएगा क्योंकि आधार प्रमाणीकरण के तत्काल उपयोग की अनुमति विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर है।

(iv) निवासी को आधार आधारित प्रमाणीकरण की विफलता के कारण किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

(v) प्रणाली में कहीं भी आधार संख्या का प्रदर्शित नहीं की जाएगी और जहां अपेक्षित हो, आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक प्रदर्शित किए जाएं।

(vi) इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए तारीख 25.07.2017 के परिपत्र के अनुसार, आधार संख्या को आधार डाटा वॉल्ट में कोडीकृत रीति से सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा। आधार संख्या को साझा या इसका अंतरण,केवल कोडीकृत रीति से किया जाएगा।

(vii) लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अथवा एनआईसी द्वारा रजिस्ट्रीकृत या सत्यापित ऑपरेटर द्वारा केवल सहायक मोड या नियंत्रित वातावरण में किया जाएगा।

(viii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अपने एप्लीकेशन को कंप्यूटर तत्काल प्रतिउत्तर दल (सीईआरटी-इन) पैनलबद्ध आईएस लेखापरीक्षक से संपरीक्षित कराएगा और रिपोर्ट यूआईडीएआई को प्रस्तुत करेगा। यूआईडीएआई द्वारा बाद में दिए गए किसी भी सुझाव का भी पालन किया जाए।

(ix) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और एनआईसी इस पर विचार करते हुए कि यह अधिक सटीक, संपर्क रहित और सुरक्षित हो, जहां कहीं भी आवश्यक हो, आईरिस-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

(x) यहां इसमें अनुमोदित प्रयोजन के लिए किए गए प्रमाणीकरण लेनदेन पर आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 के अधीन शुल्क से छूट दी जाएगी।

(xi) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और एनआईसी, उक्त अधिनियम, इससे जुड़े विनियमों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों के सभी सुसंगत उपबंधों का पालन करेंगे।

[फा. सं. 1-68/2021- डीआईजीईडी]

संतोष कुमार यादव, अपर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2022

S.O. **3884(E).—** In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Education, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the Department of School Education and Literacy (DoSEL), Ministry of Education is allowed to perform the use of Aadhaar authentication services, on voluntary basis, for the purpose of Student, Teacher and Teacher Educator Registry for the purposes given below:

(i) All education services, data, and applications are held at multiple levels - namely National, State and local levels, in a decentralised manner, following the principle of minimalism at each level.

(ii) A set of interoperable electronic registries at appropriate level (National, State and school) will be enabled based on a common registry scheme that allows seamless information interchange between various systems (with consent from individuals as necessary).

(iii) Student and teacher registries will be held at the school level, school management level and state level, as appropriate.

(iv) Non-Personally identifiable information metadata can be stored at national level for analytics and open data purposes.

(v) Students or parents or teachers shall be in full control of their educational data records as per data empowerment principles in a machine-readable, digitally-signed, printable, and portable manner.

(vi) Systems-of-Records shall hold the primary data to ensure a single source of truth; all other Information Technology systems, applications or entities will have access to it only through Application Programming Interface (API), subject to the applicable permissions and consents.

(vii) Granular consent shall be required for data sharing following the principle of purpose limitation.

(viii) Parental consent shall be adopted for minors and access to any personal data (data containing Personally identifiable information) enabled through services will only be possible via electronic consents.

(ix) Central and State education departments, autonomous bodies, school boards, private educational school societies etc, having capacity or infrastructure shall be data fiduciaries.

(x) The data fiduciary managing the data and the data processor holding and processing the same shall be responsible for the data protection obligations and compliances under the applicable laws.

2. Ministry of Education shall adhere to the following information with respect to use of Aadhaar authentication, as conveyed by Unique Identification Authority of India (UIDAI):

(i) The instant approval is for both Yes or No and e-KYC authentication and National Informatics Centre shall be the Authentication User Agency (AUA) or e-KYC User Agency (KUA) for this purpose.

(ii) The informed consent of the resident shall be obtained for the purpose of authentication in terms of section 29 of the said Act. The purposes for which the Aadhaar number and related information is being sought must be communicated clearly to the resident. Specifically, the manner in which the Aadhaar number will be collected, stored, and used should be clearly communicated to the residents.

(iii) The resident shall be informed of alternate mechanism of identification or verification as the instant usage of Aadhaar authentication is permitted purely on voluntary basis.

(iv) There shall not be denial of any service or benefit to resident on account of failure of Aadhaar based authentication.

(v) There shall not be display of Aadhaar number anywhere in system and wherever required only last four digits of Aadhaar number may be displayed.

(vi) Aadhaar numbers shall be stored securely in Aadhaar Data Vault in encrypted manner as per the Unique Identification Authority of India Circular dated 25.07.2017 issued in this regard. Any sharing or movement of Aadhaar number shall be done only in encrypted manner.

(vii) Biometric authentication of beneficiaries shall be performed only in assisted mode or controlled environment by the operator registered or verified by DoSEL or NIC.

(viii) DoSEL shall get its application audited by any Computer Emergency Response Team (CERT-In) empanelled IS Auditor and submit the report to UIDAI. Any subsequent suggestions made by UIDAI may be also be complied with.

(ix) DoSEL and NIC may encourage use of Iris-based biometric authentication, wherever required, considering that it is more accurate, contactless and safe.

(x) Authentication transactions done for the purpose approved herein shall be exempt from charges under the Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2021.

(xi) DoSEL and NIC shall comply with all the relevant provisions of the said Act, its associated regulations and other instructions issued by Unique Identification Authority of India from time-to-time.

[F. No. 1-68/2021-DIGED]

SANTOSH KUMAR YADAV, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.20 12:03:29 +05'30'